



2026:AHC:124957

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19219 सन् 2026

मिंटू @ सुधीर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता	:	उमेश कुमार
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री उमेश कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण की लंबित अवस्था के दौरान अपराध संख्या-116 सन् 1993, धारा 147, 148, 149, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जैथरा, जनपद एटा के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाद निर्णय के लिए नियत किया गया, परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात उसने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने उक्त गैर-जमानती वारंट को चुनौती देते हुए

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे निरस्त कर दिया गया तथा उसे विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। तब से वह 30.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। तथापि, यह प्रस्तुत किया कि निर्णय की तिथि पर आवेदक फरार था।

5. वर्तमान प्रकरण में आवेदक को पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी थी, किन्तु वाद निर्णय के लिए नियत था और वह उक्त तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात उसने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु वह निरस्त कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उक्त वारंट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके चुनौती दी गई, जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा उसे विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। तब से वह 30.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और आज की तिथि तक निर्णय उच्चारित नहीं किया गया है।

6. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए तथा शीर्ष न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रकाशित है, में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित है, में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मिंटू @ सुधीर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, समान धनराशि के दो प्रतिभुओं सहित व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह उन तथ्यों का न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जाए।

(ii) आवेदक किसी भी स्थगन की प्रार्थना किए बिना विचारण/अन्वेषण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा किसी भी अपराध का कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक एवं हर तिथि पर उपस्थित रहेगा तथा किसी भी अनावश्यक स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं के चलभाष क्रमांक तथा आधार पत्र का भी सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति शीर्ष न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 में पारित, दिनांक 31.01.2023 के निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित कारागार अधीक्षक को ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करे।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।